न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 20/2020/(2020/00020) जिला–अजमेर

बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री गंगाराम, जाति गुर्जर निवासी गुर्जरों का मौहल्ला, अंराई रोड़, किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।

–––अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़ जिला, अजमेर

––––प्रत्यर्थी

–––

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर अजमेर आदेश दिनांक 26–11–2019 अन्तर्गत अपील संख्या 35/2019 बउनवान बाबूलाल बनाम सरकार

––––

उपस्थित– 1. श्री तेजेन्द्र सिंह राठौड़, अभिभाषक अपीलार्थी

2. श्री आकाश पारीक, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थीगण संख्या 1

निर्णय

दिनांकः– 24.03.2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने ग्राम किशनगढ़ में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1941 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि रेकार्डेड खातेदार अनोप खां वल्द बख्तावर खां कौम मुसलमान से दिनांक 21–8–1998 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की जो उपपंजीयक किशनगढ़ के यहां रजिस्टर्ड हुआ। अपीलार्थी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रय शुदा आराजी का नामान्तरकरण दर्ज किये जाने हेतु पटवारी हलका को दस्तावेज प्रस्तुत किये जिस पर पटवारी हलका ने विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 390 दिनांक 25–8–1998 भरकर समस्या समाधान शिविर में पेश किया जिस पर संबंधित शिविर प्रभारी ने बिना किसी कारण के अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना नामान्तरकरण पर नोट अंकित किया "The case is subjuduce hence rejected " का अंकन कर नामान्तरकरण निरस्त कर दिया। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिस पर उन्होंने विधि के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–11–2019 से अपील खारिज कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 13:00:43 IST
Reason: SelfAttested

दी। जिला कलक्टर, अजमेर के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि तहसीलदार, किशनगढ़ ने नामान्तरकरण निरस्त करने से पूर्व अपीलार्ी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया तथा अपनी मनमर्जी से सरसरी तौर पर नामान्तरकरण निरस्त कर दिया। अपीलार्थी ने इन तथ्यों को कहीं भी स्वीकार नहीं किया कि सक्षम शिविर प्रभारी द्वारा समस्त तथ्यों की जांच के उपरान्त ही समस्या समाधान शिविर में आक्षेपित नामान्तररिण खारिज किया है।'' बल्कि अपीलार्थी ने अपने अपील मीमों व बहस में कथन किया कि आक्षेपित नामान्तरकरण अपीलार्थी को बिना सुने व बिना किसी जांच व दस्तावेज के मनमर्जी से खारिज किया है। अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के खण्डन में राज्य सरकार द्वारा कोई जवाब व काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया इसके बावजूद भी अपीलार्थी के अभिकथनों के खण्डन व काउन्टर शपथ पत्र के बिना गलत एवं अविधिक रूप से अपीलार्थी की अपील को मियाद बाहर मानकर खारिज कर दी गई जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि तहसीलदार, किशनगढ़ के पास ऐसा कोई सबूत व साक्ष्य नहीं था जिससे यह सिद्ध होता हो कि अपीलार्थी की खरीदशुदा भूमि पर कोई प्रकरण, वाद आदि लम्बित हो तथा पटवारी हलका द्वारा भी नामान्तरकरण की पुस्त के कॉलम संख्या 1 लगायत 16 में ऐसा कोई विवाद बाबत नोट अंकित नहीं किया है। इसके बावजूद भी मनमर्जी से बिना कोई जांच किये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खरीदशुदा भूमि का नामान्तरकरण विधिविपरीत जाकर निरस्त किया गया। तहसीलदार, किशनगढ़ ने बिना आई.एल.आर से रिपोर्ट लिये अपनी मनमर्जी से नामान्तरकरण को सरसरी तौर पर सबज्यूडिस मानते हुए निरसत कर दिया। अपीलार्थी विवादित भूमि पर खरीद दिनांक से काबिज काश्त चला आ रहा है। खसरा नम्बर 1941 के बाबत किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद लम्बित नहीं है न ही किसी सक्षम न्यायालय का पूर्व में कोई स्थगन जारी था ना ही आज कोई आदेश है। उक्त नामान्तरकरण बाबत किसी तृतीय पक्षकार का किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं था ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण विवादित कर धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया जिस अपीलार्थी को वक्त नामान्तरकरण नोटिस, सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 13:00:43 IST
Reason: SelfAttested

अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–11–2019 निरस्त कर व नामान्तरकरण संख्या 390 दिनांक 25–8–1998 निरस्त कर प्रार्थी के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के आदेश पारित किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी के राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष नामान्तरकरण संख्या 390 दिनांक 25–8–1998 के विरूद्ध अपील लगभग 21 वर्ष की लम्बी अवधि गुजरने के बाद प्रस्तुत की गई है जबकि उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अवधि 30 दिवस की थी। तहसीलदार, किशनगढ़ द्वारा समस्या समाधान शिविर में उक्त नामान्तरकरण प्रकरण सबज्युडिस होने से तत्समय ही खारिज कर दिया गया। इसकी जानकारी अपीलार्थी को तत्समय ही हो गई थी। तत्समय विवादित आराजियात बाबत वाद विचाराधीन होने के आधार पर ही प्रश्नगत नामान्तरकरण खारिज किया गया था। जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–11–2019 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम किशनगढ़ में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1941 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि रेकार्डेड खातेदार अनोप खां वल्द बख्तावर खां कौम मुसलमान से दिनांक 21–8–1998 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई जो उपपंजीयक किशनगढ़ के यहां रजिस्ट्री होने के पश्चात उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपीलार्थी द्वारा पटवारी हलका के समक्ष नामान्तरकरण तस्दीक करने हेतु समस्या समाधान शिविर में दस्तावेजात प्रस्तुत किये। समस्या समाधान शिविर, 1998 में किशनगढ़ में शिविर प्रभारी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 390 दिनांक 25–8–1998 विवादित भूमि बाबत प्रकरण ''The case is subjuduce hence rejected '' का अंकन कर खारिज किया गया था। तत्समय विवादित भूमि बाबत कोई वाद विचाराधीन हो इससे इन्कार नहीं किया जा सकता।

अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष नामान्तरकरण संख्या 390 दिनांक 25–8–1998 के विरूद्ध अपील भारी मियाद बाहर प्रस्तुत की गई तथा इतनी लम्बी अवधि को क्षमा करने हेतु उचित कारण प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर के समक्ष एवं इस न्यायालय में भी बहस के दौरान ऐसे कोई दस्तावेज या तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है कि विवादित आराजियात बाबत किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का कोई वाद लम्बित नहीं है। अपीलार्थी का कथन की अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया मानने योग्य नहीं है क्योंकि उक्त नामान्तरकरण मजमे आम में प्रकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 13:40:43 IST
Reason: SelfAttested

सबज्युडिस होने से अपीलार्थी के समक्ष ही निरस्त किया गया है। चूंकि नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसिडिंग्स है जिसमें किसी भी पक्षकार के हक एवं अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। नामान्तरकरण विवादित भूमि में कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं करता है। अपीलार्थी को अपने हक व स्वामित्व को स्थापित करने के लिए सक्षम न्यायालय में घोषणा का दावा करना चाहिए। इससे यह स्पष्ट है कि यदि अपीलार्थी को विवादित आराजियात बाबत हक अधिकार प्राप्त करने है तो वह सक्षम न्यायालय में चाराजोही करके प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–11–2019 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर) अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–11–2019 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 13:00:43 IST
Reason: SelfAttested